


The Andhra Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh (Sanshodhan) Adhiniyam, 2011

Act 1 of 2012

Keyword(s): Nagar, Gram Nivesh, Urban, Rural, Village, City, Investment

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document. इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



क्रमांक 1]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 3 जनवरी 2012-पौष 13, शक 1933

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 3 जनवरी 2012

क्र. 10-03-इक्कीस-अ-(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 28 दिसम्बर 2011 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

> मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १ सन् २०१२

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) अधिनियम, २०११

विषय-सूची.

धाराएं :

- १. संक्षिप्त नाम.
- २. धारा १६ का संशोधन.
- ३. धारा १७-क का संशोधन.
- ४. धारा २१ का संशोधन.
- ५, धारा २३-क का संशोधन.
- ६. धारा २३-ख का अन्त:स्थापन.
- ७. धारा २४-क का हटाया जाना.
- ८. धारा २९ का संशोधन.
- ९. धारा ३० का संशोधन.
- १०. धारा ३०-क का अंत:स्थापन.

1

११. धारा ३७ का संशोधन.

- १२. धारा ५० का संशोधन.
- १३. धारा ५१ का स्थापन.
- १४. धारा ५४ का हटाया जाना.
- १५. धारा ५६ का संशोधन.
- १६. धारा ५६-क तथा ५६-ख का अंत:स्थापन.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १ सन् २०१२

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) अधिनियम, २०११

[दिनांक 28 दिसम्बर, 2011 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'' में दिनांक 03 जनवरी, 2012 को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, १९७३ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम. १. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) अधिनियम, २०११ है.

- धारा १६ का २. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, १९७३ (क्रमांक २३ सन् १९७३) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल संशोधन. अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा १६ की उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित नई उपधाराएं अंत:स्थापित की जाएं, अर्थात :—
 - ''(२) उपधारा (१) के अधीन अनुज्ञा ऐसे मामलों में तथा ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए दी जा सकेगी, जैसी कि विहित की जाएं.
 - (३) उपधारा (१) के अधीन कोई आवेदन, संचालक को लिखित में, ऐसे प्ररूप में, ऐसे शुल्क तथा दस्तावेजों के साथ किया जाएगा, जो कि विहित किए जाएं.
 - (४) धारा २९ के अधीन किसी आवेदन पर अनुज्ञा देने या अनुज्ञा देने से इंकार करने हेतु धारा ३० के उपबंध, उपधारा (१) के अधीन अनुज्ञा के लिये दिए गए आवेदन को यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे.
 - (५) धारा ३१, धारा ३२ तथा धारा ३३ के अधीन क्रमश: अपील, पुनरीक्षण एवं अनुज्ञा के व्यपगत होने से संबंधित उपबंध, जो कि धारा ३० के अधीन अनुज्ञा देने या अनुज्ञा देने से इंकार करने वाले किसी आदेश को लागू होते हों, उपधारा (१) के अधीन किए गए किसी आदेश को यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे.''.

धारा १७-क का ३. मूल अधिनियम की धारा १७-क की उपधारा (३) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, संशोधन. अर्थात्.—

''(३) राज्य सरकार वह रीति विहित कर सकेगी, जिसमें समिति का संयोजक-

(क) प्राप्त की गई आपत्तियों तथा सुझावों के अभिलेख संधारित करेगी;

2

- (ख) समिति की बैठकें आयोजित करेगा और उपांतरणों तथा परिवर्तनों के संबंध में, यदि कोई हो, उसकी सिफारिशें प्राप्त करेगा;
- (ग) अपनी रिपोर्ट संचालक को अग्रेषित करेगा.''.

४. मूल अधिनियम की धारा २१ की उपधारा (१) में, शब्द ''भूमि के उपयोग संबंधी उन ब्यौरों को, जो विकास धारा २१-का योजना में उपदर्शित किए गए हों, विस्तारपूर्वक दर्शाया जाएगा और उसमें'' का लोप किया जाए.

५. मूल अधिनियम की धारा २३-क में,-

- (एक) उपधारा (१) में, खण्ड (ख) में, शब्द ''विकास योजना या परिक्षेत्रिक योजना के उपांतरण के लिये आवेदन, ऐसे प्ररूप में तथा ऐसे शुल्क एवं दस्तावेजों के साथ किया जाएगा, जैसा कि विहित किया जाए'' जोड़ें जाएं;
- (दो) उपधारा (२) में,—
 - (क) शब्द ''राज्य सरकार उपांतरित योजना की पुष्टि करेगी,'' के स्थान पर, शब्द ''राज्य सरकार, योजना को इस प्रकार उपांतरित कर सकेगी जिस प्रकार कि वह समुचित समझे'' स्थापित किए जाएं;
 - (ख) पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और उसके पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाए, अर्थात् :—

परंतु राज्य सरकार :

- (एक) योजना उपांतरित करते समय ऐसी शर्तें अधिरोपित कर सकेगी जैसी कि वह समुचित समझे;
- (दो) भूमि के उपयोग के प्रत्येक प्रवर्ग के लिये भूमि का वह न्यूनतम आकार, जिसमें परिवर्तन हेतु विचार किया जा सकेगा, विहित कर सकेगी;
- (तीन) योजना को उपांतरित करते समय अंतर्ग्रस्त भूमि के बाजार मूल्य के १० प्रतिशत से अनधिक प्रभार उद्गृहीत कर सकेगी. विभिन्न प्रवर्गों के प्रकरणों के लिए उद्ग्रहण के मापदण्ड तथा वह रीति, जिसमें बाजार मुल्य अवधारित किया जाएगा, विहित कर सकेगी;
- (चार) प्रकरणों के वे प्रवर्ग विहित कर सकेगी, जिन्हें खण्ड (दो) और/या (तीन) से छूट प्रदान की जा सकेगी.'';
- (तीन) उपधारा (३) के पश्चात्, निम्नलिखित नई उपधाराएं अंत:स्थापित की जाएं, अर्थात् :--
 - ''(४) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (१) के खण्ड (ख) के अधीन दिए गए आवेदन की दशा में, फर्श क्षेत्र अनुपात की अनुज्ञेय सीमाएं उपांतरित नहीं की जाएंगी.''.

६. मूल अधिनियम की धारा २३-क के पश्चात्, अध्याय पांच में, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाए, धारा २३-ख का अर्थात् :—

''२३-ख. (१) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, किसी भी समय, भुगतान पर अतिरिक्त विकास योजना में, उन क्षेत्रों को, जिनका प्रत्येक का माप पांच हैक्टर से कम न हो, अधिसूचित फर्श क्षेत्र अनुपात कर सकेगी, जिनमें अनुज्ञेय सीमा से अधिक अतिरिक्त फर्श क्षेत्र अनुपात, विहित राशि के भुगतान पर अनुज्ञात किया जा सकेगा:

धारा २३-क का

संशोधन.

परंतु ऐसे किसी क्षेत्र को तब तक अधिसूचित नहीं किया जाएगा जब तक कि राज्य सरकार ने :

- (एक) ऐसी अधिसूचना का कोई प्रारूप प्रकाशित न कर दिया हो तथा लोगों से सुझाव तथा आपत्तियां आमंत्रित न कर लीं हों तथा ऐसे समस्त व्यक्तियों को, जिनका कि उसमें हित हो सकता हो, सुन न लिया हो;
- (दो) प्रस्तावित अतिरिक्त फर्श क्षेत्र अनुपात को लागू करने के लिए अधोसंरचना की पर्याप्तता और अनुज्ञेय सीमा से अधिक ऐसे अतिरिक्त फर्श क्षेत्र को अनुज्ञात करने के प्रभाव का पता लगाने हेतु उसके द्वारा गठित समिति की सिफारिशों पर विचार न कर लिया गया हो.
- (२) वह रीति जिसमें अधिसूचना प्रकाशित की जाएगी, हितबद्ध व्यक्तियों को सुने जाने की रीति तथा अतिरिक्त फर्श क्षेत्र के लिये आवेदन के प्ररूप के साथ ही संलग्न किए जाने वाला शुल्क तथा दस्तावेज विहित किए जाएंगे.
- (३) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, स्वीकृत किया गया अतिरिक्त फर्श क्षेत्र अनुपात विकास योजना में अनुज्ञात किए गए अनुपात से ५० प्रतिशत से अधिक नहीं होगा और उपधारा (१) में वर्णित की गई राशि विहित रीति में संगणित किए गए समतुल्य अतिरिक्त भूमि के बाजार मूल्य के २५ प्रतिशत से कम नहीं होगी.

स्पष्टीकरण.—धारा २३-क तथा २३-ख के प्रयोजन के लिए ''फर्श क्षेत्र अनुपात''से अभिप्रेत है, किसी भवन के, ऐसे क्षेत्रों को छोड़ते हुए, जो कि विहित किए जाएं, उस भूमि के कुल प्लाट क्षेत्र के समस्त तलों पर निर्मित क्षेत्र का अनुपात.''.

धारा २४-क का ७. मूल अधिनियम की धारा २४-क का लोप किया जाए. हटाया जाना.

धारा २९ का ८. मूल अधिनियम की धारा २९ की उपधारा (२) के पश्चात्, निम्नलिखित नई उपधारा अंत:स्थापित की जाएं, संशोधन. अर्थात् .—

> ''(३) धारा ३० के अधीन प्रदान की गई अनुज्ञा यदि पूर्व में ही व्यपगत नहीं हो गई है, तो उपांतरण का आवेदन, संचालक को किया जाएगा तथा उसमें ऐसे ब्यौरे, दस्तावेज अंतर्विष्ट होंगे तथा उसके साथ ऐसा शुल्क दिया जाएगा जैसा कि विहित किया जाए :

परंतु ऐसा कोई आवेदन, जब तक कि राज्य सरकार द्वारा अन्यथा निदेशित न किए जाए, उस तारीख से, जिसको कि अनुज्ञा, जिसके उपांतरण के लिये आवेदन किया गया था, दी गई हो, छह मास की कालावधि का अवसान होने के पूर्व नहीं किए जाएगा.''.

धारा ३० का ९. मूल अधिनियम की धारा ३० में, उपधारा (१) में, खण्ड (ग) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित संशोधन. किया जाए और उसके पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

> ''परंतु धारा २९ की उपधारा (३) के अधीन आवेदन की दशा में, संचालक, इसमें इसके ऊपर खण्ड (क) या (ख) के अधीन तब तक कोई आदेश पारित नहीं करेगा जब तक कि उसने ऐसे व्यक्तियों को, जिनका प्रस्तावित उपांतरण में कोई हित हो, नहीं सुन लिया हो और उस भूमि या भवन में सृजित किन्हीं विल्लंगमों पर, यदि कोई हों, विचार न कर लिया हो. वे हित तथा विल्लगमों जिन पर विचार किया सकता हो, विचार किए जाने की प्रक्रिया, वह रीति, जिसमें विल्लंगमों, यदि कोई हों, का उपचार किया जाएगा और आदेश का प्ररूप, ऐसे होंगे जैसे कि विहित किए जाएं.''.

''३०-क. (१) राज्य सरकार या उसके द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत कोई अधिकारी, इस अधिनियम के किसी प्लाट का उपबंधों तथा ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जैसी कि विहित की जाएं, किसी प्लाट के विलयन या विलयन या विभाजन को अनुज्ञात कर सकेगा :

परंतु जहां भूमि के उपयोग का प्रयोजन आवासीय है, वहां-

- (क) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और निम्न आय वर्गों के प्लाटों का विलयन नहीं किए जाएगा;
- (ख) प्लाटों का विभाजन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा;
- (ग) केवल सटे हुए प्लाटों का विलयन किया जाएगा और ऐसे विलयन किए गए प्लाट का आकार ५०० वर्गमीटर से अधिक नहीं होगा; और
- (घ) विलयन के पश्चात् तैयार हुए प्लाट के लिये अनुज्ञेय आवासीय इकाइयों की संख्या उन प्लाट के लिये अनुज्ञेय आवासीय इकाइयों की कुल संख्या से अधिक नहीं होगी, जिनका विलयन किया गया था.
- (२) उपधारा (१) के अधीन दिए गए आवेदन में ऐसे ब्यौरे तथा दस्तावेज अंतर्विष्ट होंगे तथा उसके साथ ऐसा शुल्क दिया जाएगा जैसा कि विहित किए जाएं.''.

११. मूल अधिनियम की धारा ३७ में उपधारा (१) में, शब्द, ''ऐसे विकास के पांच वर्ष के भीतर,'' का लोप धारा ३७ संशोधन. किया जाए.

- १२. मूल अधिनियम की धारा ५० में,— धारा ५० संशोधन.
 - (एक) उपधारा (१) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और उसके पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक जोडा जाए, अर्थात् :—

''परंतु आशय की कोई ऐसी घोषणा राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं की जाएगी.'';

- (दो) उपधारा (४) में,—
 - (क) शब्द ''या'' के स्थान पर, शब्द ''और'' स्थापित किया जाए;
 - (ख) विद्यमान परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक स्थापित किया जाए, अर्थात् :--
 - ''परंतु ऐसी प्रारूप स्कीम का अंतिम प्रकाशन, उसमें प्रस्तावित किए गए अभिन्यास का संचालक द्वारा अनुमोदन कर दिए जाने के पश्चात् अधिसूचित किया जाएगा. ऐसा अंतिम प्रकाशन, प्रारूप स्कीम के प्रकाशन होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर अधिसूचित किया जाएगा, जिसमें असफल रहने पर प्रारूप स्कीम व्यपगत हो गई समझी जाएगी.'';

का

अंतःस्थापन.

(तीन) उपधारा (५) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :--

''(५) उपधारा (४) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी, एक समिति गठित करेगा जिसमें, उक्त प्राधिकारी का मुख्य कार्यपालिक अधिकारी, संचालक द्वारा नामनिर्दिष्ट एक अधिकारी, ऐसे स्थानीय नगरीय निकाय का मुख्य कार्यपालिक अधिकारी या उसका नामनिर्देशिती जिसकी अधिकारिता के भीतर, नगर विकास स्कीम अवस्थित है, और उस दशा में, जहां की स्कीम पूर्णत: या अंशत: उसकी अधिकारिता में आती हो, जिला पंचायत का मुख्य कार्यपालिक अधिकारी या उसका नामनिर्देशिती समाविष्ट होंगे.''.

धारा ५१ का स्थापन. १३. मूल अधिनियम की धारा ५१ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :--

पुनरीक्षण. ''५१. राज्य सरकार या उसके द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत आयुक्त से अनिम्न श्रेणी का कोई अधिकारी, किसी भी समय, किन्तु धारा ५० के अधीन अंतिम नगर विकास स्कीम के प्रकाशन होने की तारीख से अधिक से अधिक दो वर्ष के भीतर, या तो स्वप्रेरणा से या अंतिम स्कीम के ऐसे प्रकाशन होने के तीस दिन के भीतर, किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो अंतिम स्कीम से व्यथित हो, फाइल किए गए आवेदन पर, नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी द्वारा पारित किए गए आदेश की शुद्धता के बारे में या ऐसे प्राधिकारी की किसी कार्यवाही की नियमितता के बारे में समाधान करने के प्रयोजन के लिये, किसी स्कीम के अभिलेख को मंगवा सकेगा और उसकी परीक्षा कर सकेगा और ऐसे अभिलेख मंगवाते समय निर्देश दे सकेगा कि स्कीम का निष्पादन निलंबित कर दिया जाए, और राज्य सरकार या प्राधिकृत अधिकारी अभिलेख की परीक्षा करने के पश्चात् ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा

> परंतु कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि उससे प्रभावित व्यक्ति और नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो.''.

धारा ५४ का हटाया १४. मूल अधिनियम की धारा ५४ का लोप किया जाए.

जाना.

करार की लिखत पर

कोई रजिस्ट्रीकरण

शुल्क का न लगना.

धारा ५६ का १५. मूल अधिनियम की धारा ५६ में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और उसके पश्चात् संशोधन. निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाए अर्थात्:—

> ''परंतु उक्त करार में ऐसी शर्तें अंतर्विष्ट होंगी और वह ऐसी रीति में निष्पादित किया जाएगा, जैसी कि विहित की जाए.''.

धारा ५६-क तथा १६. मूल अधिनियम की धारा ५६ के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं अंत:स्थापित की जाएं, अर्थात् :— ५६-ख का अंत:स्थापन.

> ''५६-क. रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९०८ (१९०८ का १६) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा ५६ में उल्लिखित करार को कार्यान्वित करने के लिए किसी भूमिस्वामी और नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी के बीच निष्पादित लिखत पर उक्त अधिनियम के अधीन कोई शुल्क भुगतान नहीं किया जाएगा.

''५६-ख. भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ (१८९९ का २) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा करार की लिखत पर ५६ में उल्लिखित करार को कार्यान्वित करने के लिए किसी भूमिस्वामी और नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी के बीच निष्पादित किसी लिखत पर उक्त अधिनियम के अधीन कोई शुल्क प्रभार्य नहीं होगा.''.

भोपाल, दिनांक 3 जनवरी 2012

क्र. 11-03-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) अधिनियम, 2011 (क्रमांक एक सन् 2012) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

> मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, **राजेश यादव,** अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT No. 1 of 2012.

THE MADHYA PRADESH NAGAR TATHA GRAM NIVESH (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2011

TABLE OF CONTENTS

Sections :

- 1. Short title.
- 2. Amendment of Section 16.
- 3. Amendment of Section 17-A.
- 4. Amendment of Section 21.
- 5. Amendment of Section 23-A.
- 6. Insertion of Section 23-B.
- 7. Deletion of Section 24-A.
- 8. Amendment of Section 29.
- 9. Amendment of Section 30.
- 10. Insertion of Section 30-A.
- 11. Amendment of Section 37.
- 12. Amendment of Section 50.
- 13. Substitution of Section 51.
- 14. Deletion of Section 54.
- 15. Amendment of Section 56.
- 16. Insertion of Section 56-A and 56-B.

MADHYA PRADESH ACT No. 1 of 2012.

THE MADHYA PRADESH NAGAR TATHA GRAM NIVESH (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2011

[Received the assent of the Governor on the 28th December, 2011; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 3rd January, 2012.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-Second year of the Republic of India as follows:----

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh (Sanshodhan) Adhiniyam, 2011.

Amendment of Section 16.

Short title.

2. After sub-section (1) of Section 16 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) (hereinafter referred to as the Principal Act), the following new sub-sections shall be inserted, namely:—

- "(2) The permission under sub-section (1) may be granted in such cases and subject to such conditions as may be prescribed.
- (3) An application under sub-section (1) shall be made in writing to the Director in such form, accompanied by such fees and documents as may be prescribed.
- (4) The provisions of Section 30 for the grant or refusal of permission to an application under Section 29 shall mutatis mutandis apply to an application for permission under sub-section (1).
- (5) the provisions of appeal, revision and lapse of permission under Section 31, Section 32 and Section 33 respectively, which are applicable to an order granting or refusing permission under Section 30, shall mutatis mutandis apply to an order made under sub-section (1).".

Amendment of 3. For sub-section (3) of Section 17-A of the Principal Act, the following sub-section shall be substituted, namely:—

- "(3) The State Government may prescribe the manner in which the Convener of the committee shall.
 - (a) maintain the record of objections and suggestions received;
 - (b) conducts the meetings of the committee and obtain its recommendation regarding modifications and alterations, if any;
 - (c) forward his report to the Director.".

Amendment of 4. In sub-section (1) of Section 21 of the Principal Act, the words "enlarge the details of land use as indicated in the development plan and shall" shall be omitted.

Amendment of Section 23-A.

- 5. In Section 23-A of the Principal Act .---
 - (i) in sub-section (1), in clause (b), the words "The application for modification of development plan or zoning plan shall be in such form and accompanied by such fee and documents as may be prescribed" shall be added;

(ii) in sub-section (2).

- (a) for the words "the State Government shall confirm the modified plan", the words "the State Government may modify the plan as it deems appropriate" shall be substituted;
- (b) for full stop, the colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be added, namely:---

"Provided that the State Government may:

- (i) impose such conditions as it considers appropriate while modifying the plan;
- (ii) prescribe the minimum size of land for each category of land use which may be considered for change;
- (iii) while modifying the plan, levy a charge not exceeding 10% of the market value of the land involved. The scale of levy for various category of cases and the manner in which the market value may be determined shall be prescribed;
- (iv) prescribe the category of cases which may be exempted from clause (ii) and /or (iii).";
- (iii) after sub-section (3), the following new sub-section shall be inserted, namely:-
 - "(4) Notwithstanding anything contained in this Section, the permissible limits of floor area ratio shall not be modified in case of the application made under clause (b) of sub-section (1).".

6. After Section 23-A of the Principal Act, the following Section shall be inserted in Chapter V, namely :---

"23-B (1) Notwithstanding anything contained in this Act, the State Government may, at any time, notify area in the development plan, each measuring not less than five hectares, in which additional floor area ratio over and above the Permissible limit may be allowed on payment of a prescribed amount:

Provided that no such area shall be notified unless the State Government has:

- (i) published a draft of such notification and invited suggestions and objections from the public and heard all such persons who may have interest;
- (ii) considered the recommendations of a committee constituted by it to assess the impact of allowing such additional floor area ratio over and above the permissible limit and adequacy of the infrastructure to support the proposed additional floor area ratio.

(2) The manner in which the notification may be published, the manner of hearing the interested persons and the form of application for additional floor area alongwith the fee and documents to be enclosed shall be prescribed.

- (3) Notwithstanding anything cantained in this Section, the additional floor area ratio granted shall not exceed 50% of that allowed in the development plan and the amount mentioned in sub-section (1) shall not be less than 25% of the market value of the equivalent additional land calculated in the mannner prescribed.
- **Explanation**.—For the purpose of Section 23-A and 23-B "floor area ratio" means the ratio of built up area in a building on all floors, excluding such areas of the building as may be prescribed, to the total plot area of the land in question.".

of

Insertion

Additional floor area ratio on payment.

-

Deletion of Section 24-A.	7. Section 24-A of the Principal Act shall be deleted.
Amendment of Section 29.	8. After sub-section (2) of Section 29 of the Principal Act, the following new sub-section shall be inserted, namely:
	"(3) An application for modification of the permission granted under Section 30, if no already lapsed, shall also be made to the Director and it shall contain such details documents and accompanied by such fees as may be prescribed:
	Provided that no such application, unless otherwise directed by the State Governmen shall be made before a period of six months has expired from the date on whic the permission, whose modification has been applied for, was granted.".
Amendment of Section 30.	9. In Section 30 of the Principal Act, in sub-section (1), in clause (c), for fullstop, the colo shall be substituted and thereafter the following proviso shall be inserted, namely :
	"Provided that in case of an application under sub-section (3) of Section 29, the Director shall not pass any order under clause (a) or (b) hereinabove unless he has hear such persons as may have interest in the proposed modification and considered encumbrances, if any, created in the land or building. The interests an encumbrances that may be considered, procedure for such consideration, manned in which encumbrances, if any, may be remedied and the form or order shall be such as may be prescribed.".
Insertion of Section 30-A	10. After Section 30 of the Principal Act, the following Section shall be inserted, namely :-
Merger of division of a plot.	"30-A. (1) The State Government or an officer so authorized by it may, subject to the provision of this Act and such conditions as may be prescribed, allow merger or divison of the plot:
	Provided that where the purpose of land use is residential :
	(a) plots for economically weaker sections and low income groups shall not be merged
	(b) division of plots shall not be permitted;
	(c) only continuous plot shall be merged and the size of such merged plot shall not excension 500sq. mtrs; and
	(d) the number of dwelling units permissible in the plot formed after merger shall n exceed the sum of the dwelling units permissible in the plots that were merged
	(2) An application under sub-section (1) shall contain such details, documents an accompanied by such fee as may be prescribed.".
Amendment of Section 37.	11. In Section 37 of the Principal Act, in sub-section (1), the words "within five years such development" shall be omitted.
Amendment of Section 50.	12. In Section 50 of the Principal Act,
	(i) in sub-section (1), for full stop, the colon shall be substituted and thereafter t following proviso shall be added, namely :
	"Provided that no such declaration of intent shall be made without prior approval the State Government.";

(ii) in sub-section (4),-

- (a) for the word "or", the word "and" shall be substituted;
- (b) for the existing proviso, the following proviso shall be substituted, namely :----
 - "Provided that the final publication of such draft scheme shall be notified after the layout proposed therein has been approved by the Director. Such final publication shall be notified not later than one year from the date of publication of the draft scheme failing which the draft scheme shall be deemed to have lapsed.";
- (iii) for sub-section (5), the following sub-section shall be substituted, namely:---
 - "(5) Notwithstanding anything contained in sub-section (4), the Town and Country Development Authority shall constitute a committee consisting of the Chief Executive Officer of the said Authority, an officer nominated by the Director, Chief Executive Officer or his nominee of such urban local body within whose jurisdiction the town development scheme is situated and Chief Executive Officer or his nominee of the Zila Panchayat in case the scheme lies wholly or partly in his jurisdiction.".

13. For Section 51 of the Principal Act, the following section shall be substituted, namely :---

"51. The State Government or an officer not below the rank of a Commissioner so authorised by it may, at any time, but not later than two years from the date of publication of the final town development scheme under Section 50, either on own motion or on an application filed within thirty days of such publication of the final scheme by any person aggrieved by the final scheme, call for and examine the record of any scheme for the purpose of satisfying as to the correctness of the order passed by the Town and Country Development Authority, or as to the regularity of any proceeding of such authority and when calling such record direct that the execution of the scheme be suspended, and the State Government or the Authorised Officer may, after examining the record, pass such order as it or he thinks fit and this order shall be final :

Provided that no order shall be passed unless the person affected thereby and the Town and Country Development Authority have been given a reasonable opportunity of being heard.".

14. Section 54 of the Principal Act shall be deleted.

"Provided that the said agreement may contain such conditions and executed in such manner as may be prescribed.".

16. After Section 56 of the Principal Act the following sections shall be inserted, namely :---

- "56-A. Notwithstanding anything contained in the Registration Act, 1908 (No. 16 of 1908) or any other law for the time being in force, no instrument executed between any owner of the land and the Town and Country Development Authority for giving effect to the agreement mentioned in Section 56 shall be liable to pay any fee under that Act.".
- 56-B. Nothwithstanding anything contained in the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899), no instrument executed between any owner of land and the Town and Country Development Authority for giving effect to the agreement mentioned in Section 56 shall be chargeable with duty under that Act.".

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.

Substitution of Section 51.

Revision.

Insertion of

of

Deletion

Section 54.

Section 56-A and 56-B.

No fees for registration on instrument of agreement.

No stamp duty on instrument of agreement.